अपील / 14 / 2025

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

1. तेजसिंह पुत्र लीला । जाति ठाकुर निवासी ग्राम पीपला तहसील व जिला
2. अशोक पुत्र लीला । भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.......रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्व निर्णय तहसीलदार भरतपुर दिनांक 07.02.2024, प्रकरण संख्या 04 / 2023 शीर्षक सरकार बनाम तेजसिहं आदि, अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधि.

———

उपस्थित :–
1–श्री महाराज सिहं डागुर अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार रेस्पो.

निर्णय **दिनांक 10.04.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील व विरुद्ध रेस्पो. वखिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 07.02.2024 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1763 / 0.13 में से 0.02 है. किस्म गे.मु. रास्ता बाके ग्राम पीपला तहसील भरतपुर से बेदखल किये जाने एवं पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। अपीलान्ट ने उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं तहत पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलाधीन नियमों के विपरीत पारित किया गया है। विवादित आराज़ी खसरा नम्बर 1763 / 0.13 के किसी भाग पर कोई नाजायज कब्जा नहीं किया है बल्कि उक्त खसरा नं. के सहारे अपीलार्थीगण की खातेदारी के अन्य खसरा नम्बरान हैं जिन पर अपीलार्थीगण काबिज है। विवादित आराजी रास्ते की मौके पर काफी चौडाई मौजूद है। अपीलार्थीगण ने रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की कोई पैमाईश नहीं कराई है। अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। तहत

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को संयुक्त नोटिस दिया गया है जो कानूनन मान्य नहीं है। तथाकथित अतिक्रमित भाग की नाप व सीमाऐं देनी चाहिऐ और प्रत्येक अतिक्रमी को पृथक पृथक नोटिस दिया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका पर पक्का निर्माण टीन सैड का होना बताया है जबकि समस्त निर्माण अपीलार्थीगण का अपने स्वामित्व की आबादी है, में ग्राम पंचायत की स्वीकृति के आधार पर निर्माण किया गया है। प्रकरण देरी से पेश करने के सन्दर्भ में वकील अपीलार्थीगण का कहना है कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 07.07.2025 को इस सम्बन्ध में बतलाने पर अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई। तत्काल दिनांक 8.7.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल ली जाकर अपील पेश की गई है। जानकारी होने के दिन से अपील अन्दर अवधि पेश की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। अपील की देरी को माफ करने की प्रार्थना करते हुये अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पैरोकार सरकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है। गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण टीनसैड डालकर अतिक्रमण किया गया है। तहत न्यायालय ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अपीलान्टान को बेदखल करने की अपीलाधीन आज्ञा पारित की है वह उचित है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क है कि अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपील खारिज की जावे।

पत्रावलियों का अध्ययन किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पर विचार किया गया। म्याद के सम्बन्ध में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) "Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

जिला कलक्टर
भरतपुर

.........3

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट से जाहिर है कि अपीलान्ट ने गैर मु. रास्ता खसरा नं. 1763/0.13 के रकवा में से 0.02 रकवा में पक्का निर्माण टीनसैड डालकर अतिक्रमण किया है। जिनके खिलाफ तहत न्यायालय द्वारा बेदखल की कार्यवाही की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि नियमों के तहत प्रत्येक अतिक्रमी को पृथक–पृथक नोटिस जारी होने चाहिये थे। परन्तु तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है, और नाही अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिया गया है। अतः प्रकरण में निम्नांकित बिन्दु तय होने है:–

1. आया तहत न्यायालय द्वारा प्रत्येक अतिक्रमी को पृथक–पृथक नोटिस जारी नहीं किये है.....?
2. आया अपीलान्टान को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिया है अथवा नहीं .....?

उक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 के सन्दर्भ में तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय द्वारा संयुक्त दोनों पक्षकारों को पृथक–पृथक नोटिस जारी नहीं कर, एक ही नोटिस जारी किया गया है। जबकि नियमानुसार प्रत्येक पक्षकार को पृथक–पृथक नोटिस जारी करने चाहिये थे। जैसा कि आर.आर.डी. 1986 पेज 544 एवं 545 पर माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(B) "Rja. Land Revenue Act, Sec.91(3A)-Notice-Principles of naturl justice- Joint notice, issued by The. against 4 trespassers, held bad in law even though served personally on 2 of them-Sec. 91(3A) Incorporates rule of audi alteram partem in so many words-Unhealthy practice in subordinate R.Cs. of issuing joint notice against several persons and service, effected on one or two persons-Joint notice in name of several defts.,bad in law and unwarranted, as held in 1974 R.R.D. 456-Order of R.A.A., set asideand ease, remanded to The."

बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध मे तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.12.2023 में पीठासीन अधिकारी द्वारा गैर

.........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

सायल की तलवी कराये जाने हेतु पुनः नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये है। तथा आगामी तारीख पेशी पर बिना पक्षकारान को सुने, बिना कोई साक्ष्य सबूत लिये एकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। ऐसे आदेश को हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। अतः प्रकरण को तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं कि वे पक्षकारान को पृथक–पृथक नोटिस जारी कर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्बन्धित पक्षकारों को पृथक–पृथक नोटिस जारी कर, दोनों पक्षकारों/अपीलान्टान की मौजूदगी में विवादित आराजी की पैमाइस कर, अपीलान्टान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनाक 10.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर